FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

गेनाराम बनाम टीकूराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० अधि० 111,128 RLRAct नं. 287/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री इलियास खाँ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/19 को पेश हो।	
14/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फर्द तामील शामिल पत्रावली। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर [illegible] दिनांक 26/11/2019 को पेश हो।	
26/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 07/01/2020 को पेश हों।	
07/01/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली इल्तवा होकर। दिनांक 05/02/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

05/02/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त / इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 25/02/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) जायल

25/02/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सटे सटे आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़े व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में बारिशों की वजह से बिखर गये हैं। वर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेत की सीमाओं को तोड़कर उसमें काश्त कर लेते हैं। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सीमा को लेकर तनाजा बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी को नपतीबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नपतीबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नपतीबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
25.2.2020
सहायक कलक्टर (SDO)
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/230 दिनांकः–

राजस्व आवेदन संख्या – 287/19

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
श्री गेनाराम पुत्र भोमाराम जाति–जाट, निवासी–आहोणियों बेनिवालों की ढाणी, माधासर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 6 जातियान्–जाट, निवासीयान्– आहोणियों बेनिवालों की ढाणी, माधासर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा आहोणियों बेनिवालों की ढाणी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नम्बर 859/305 रकबा 21.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–

क्रमांक/वाद/2019/231-35

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गेनाराम पुत्र भोमाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री टीकूराम पुत्र दौलाराम वगैरा 6।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

25.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested